[2019] 9 एस.सी.आर.993

श्री बद्रू (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि आदि

बनाम

एन.टी.पी.सी. लिमिटेड (पूर्व में राष्ट्रीय थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड) एवं अन्य.

(सिविल अपील संख्या. 5557–5559/2019),

16 जुलाई, 2019

[अभय मनोहर सप्रे एवं इंदु मल्होत्रा, न्यायाधीशगण]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894– धारा 11, 18, 23 और 54– अपीलार्थी–भूस्वामियों की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एनटीपीसी के लाभ के लिए राज्य प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अधिगृहीत–भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एलओ) ने मुआवजे के रूप में अपीलकर्ताओं को रू० 3,87,383/– प्रति बीघा की पेशकश की– अपीलकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत संदर्भ की मांग की– संदर्भ न्यायालय ने मुआवजे को बढ़ाकर रुपया 5,00,000/– प्रतिबीघा कर दिया– राज्य और एनटीपीसी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की– अपीलकर्ताओं ने अपील में आदेश 41,,7.22,सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिआपत्ति दायर की और मुआवजे में और वृद्धि की मांग की– उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज की गई। फलस्वरूप, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई प्रतिआपत्ति को भी खारिज कर दिया गया– निर्धारितः अपीलकर्ताओं के पास संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित पुरुस्कार की वैधता या/और शुद्धता पर सवाल उठाने के लिए दो उपाय थे–एक उपाय अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत अपील और दूसरा उपाय राज्य/एनटीपीसी द्वारा दायर की गई अपील में अंतर्गत आदेश 41, 7.22 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिआपत्ति दायर करना था–भूस्वामियों ने दूसरे उपाय का सहारा लिया– उच्च न्यायालय ने राज्य/एनटीपीसी द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया है, इसलिए, यह जांचना आवश्यक था कि भूस्वामियों द्वारा कोई मामला बनाया गया था– उच्च न्यायालय, हालांकि, बिना किसी कारण बताए प्रतिआपत्ति को खारिज कर दिया– आदेश 41, 1.22 (4) प्रावधानित करता है कि किसी भी मामले में जिसमें किसी भी प्रतिवादी ने इस नियम के तहत आपत्ति का ज्ञापन दायर किया है, मूल अपील वापस ले ली गई है या चूक के लिए खारिज कर दी गई है, इसलिए दायर की गई आपत्ति को फिर भी सुना जा सकता है और इस तरह के नोटिस के बाद निर्धारित किया जा सकता है जैसा न्यायालय समझती है– केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर अपीलों को गुणदोष के आधार पर खारिज कर दिया, फिर भी परिणामस्वरूप भूस्वामियों की प्रतिआपत्ति को भी खारिज नहीं किया जाएगा– प्रतिआपत्ति का निस्तारण 993 उच्च न्यायालय रिपोर्ट [2019] 9 एस.सी.आर. संहिता के आदेश 41, 7.22 में दिए गए कारण बताए अनुसार अपीलों को खारिज करने के बावजूद प्रति आपत्ति का उसके गुण–दोष के आधार पर निपटारा किया जाना था–उच्च न्यायालय ने राज्य/एनटीपीसी की अपील को गुण–दोष के आधार पर खारिज कर दिया, फिर भी उच्च न्यायालय के लिए यह अनिवार्य था कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष भूस्वामियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की स्वतंत्र रूप से जांच करे–कानून के अनुसार अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील का फैसला करने के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेज दिया गया– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908– आदेश 41, नियम 22।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1.1 उच्च न्यायालय के समक्ष विचार हेतु दो प्रश्न थेः पहला, क्या संदर्भित न्यायालय भूस्वामियों को मुआवजे के रूप में प्रति बीघा 5 लाख रू० देना सही था और दूसरा, क्या संदर्भित न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2009 को दिए गए मुआवजे की राशि की तुलना में मुआवजे की राशि में वृद्धि का मामला बनता है। जहां तक

पहले प्रश्न का सवाल है, यहां उच्च न्यायालय द्वारा राज्य/एनटीपीसी के उदाहरण पर आवश्यक रूप से तय किया जाना था, जबकि जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है, यह भूस्वामियों द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण के आधार पर तय किया जाना आवश्यक था। अपीलकर्ताओं (भूस्वामियों) के पास संदर्भित न्यायालय द्वारा पारित पुरुस्कार की वैधता या/और शुद्धता पर प्रश्न उठाने के लिए दो उपाय थे। एक उपाय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 54 के तहत अपील के माध्यम से और दूसरा उपाय राज्य द्वारा दायर अपील में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 22 के तहत प्रतिआपत्ति दर्ज कराना था। इस मामले में, भूस्वामियों ने दूसरा उपाय संहिता के आदेश 41 नियम 22 के तहत प्रतिआपत्ति दर्ज कराया जाना चुना। [खण्ड 14–16] [1998–सी–एस]

1.2 उच्च न्यायालय द्वारा राज्य/एनटीपीसी द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया था, इसीलिए, यह जांचने की आवश्यकता थी कि मुआवजे की वृद्धि के लिए भूस्वामियों (अपीलकर्ताओं) द्वारा दाखिल प्रतिआपत्तियों के आधार पर कोई मामला बनता था। उच्च न्यायालय ने, खण्ड 24, में बिना कोई कारण बताए प्रतिआपत्ति को खारिज कर दिया था। संहिता के आदेश 41 नियम 22 (4) में यह प्रावधान है कि किसी भी मामले में, जिसमें किसी भी प्रतिवादी द्वारा इस नियम के तहत आपत्ति का ज्ञापन दायर किया है, मूल अपील को वापस या चूक के लिए रद्द कर दिया गया, फिर भी दायर की गई आपत्तियों को न्यायालय उचित समझता है तो अन्य पक्षों को इस तरह का नोटिस देने के बाद सुना और निर्धारित किया जा सकता है। केवल इसीलिए कि उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरदाताओं श्री बद्रू (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य आदि बनाम एनटीपीसी लि., द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था। अपने आप में भूस्वामियों की प्रतिआपत्ति को खारिज करने का आधार नहीं है। हमारी सुविचारित राय में, केवल इसीलिए कि उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर की गई अपीलों को गुणदोष के आधार पर खारिज कर दिया, फिर भी इसके परिणामस्वरूप भूस्वामियों की प्रति आपत्ति खारिज नहीं होगी। संहिता के आदेश 41 नियम 22 (4) में दिए गए कारण अपीलों को खारिज करने के बावजूद प्रति आपत्ति का उसके गुणदोष के आधार पर निपटारा किया जाना था। भले ही उच्च न्यायालय ने राज्य/एनटीपीसी की अपील को गुणदोष के आधार पर खारिज कर दिया, फिर भी उच्च न्यायालय के लिए यह अनिवार्य था कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष भूमि मालिक को (अपील में उत्तरदाताओं) द्वारा उठाए गए मुद्दों की पृथक रूप से जांच करे। न्यायालय ने प्रतिआपत्ति में यह पता लगाने की दृष्टि से कहा कि क्या भूस्वामियों के द्वारा तथ्यों के आधार पर मुआवजे में बढ़ोत्तरी के लिए कोई मामला बनाया गया था और यदि हां, तो किस हद तक। यह प्रश्न कि मुआवजे में वृद्धि का कोई मामला बनता है कि नहीं, इसका निर्णय धारा 23, 1894 अधिनियम में निर्धारित मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए अधिगृहीत भूमि के बाजार मूल्य के मुद्दे पर पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन के आधार पर किया जाना आवश्यक था। उच्च न्यायालय भूस्वामियों की प्रति आपत्ति के निपटने के दौरान पूर्वोक्त प्रश्न की जांच करने में विफल रहा और बिना कोई कारण बताए इसे गलत तरीके से खारिज कर दिया, जैसा कि ऊपर उद्धृत आदेश से स्पष्ट है। बिना किसी चर्चा और कारण के प्रतिआपत्ति को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए यह कानूनी रूप से सही नहीं है। [खण्ड 17–22] [998–जी–एच;999–ए–एफ]

1.3 विवादित आदेश जहां तक अपीलकर्ताओं (जमींदारों) की प्रतिआपत्ति को खारिज करने से सम्बन्धित है (पैरा 24) को खारिज किया जाता है। मामले को कानून के अनुसार अपीलकर्ताओं (जमींदारों) द्वारा दायर प्रतिआपत्ति पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दावा करने के लिए अपीलकर्ताओं (जमींदारों) द्वारा साक्ष्य पर कोई मामला बनाया गया है या नहीं। संदर्भ न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजों की राशि में और वृद्धि और, यदि हां, तो किस हद तक और, यदि नहीं, तो क्यों। उच्च न्यायालय पहले यह सत्यापित करेगा कि क्या भूस्वामियों ने प्रतिआपत्ति में किए गए अपने दावे को महत्व दिया है और यदि हां, तो क्या उन्होंने दावे पर ऐड विलोरम

अदालत की फीस का भुगतान किया, तो उन्हें पहले अपने दावे का मूल्यांकन करने और ऐसे दावे पर ऐड विलोरम अदालत की फीस का भुगतान करने के लिए उचित समय दिया जाएगा। एक बार जब कोर्ट फीस अधिनियम के तहत अपेक्षित कोर्ट फीस का भुगतान भूस्वामियों द्वारा कर दिया जाता है तो राज्य/एनटीपीसी द्वारा दायर अपीलों में पारित मुख्य आदेश को परेशान किए बिना, प्रतिआपत्ति पर कानून के अनुसार सख्ती से निर्णय लिया जाएगा। उच्च न्यायालय तद्नुसार इस आदेश में किए गए किसी भी अवलोकन से प्रभावित हुए कानून के अनुसार अपनी योग्यता पर प्रतिआपत्ति का फैसला करेगा। [खण्ड 25, 26] [1000–बी–डी]

सिविल अपील न्यायाधिकरणः सिविल अपील संख्या 5557–5559/2019

उच्च न्यायालय शिमला, हिमाचल प्रदेश के निर्णय और आदेश दिनांक 20.04.2017 आर.एफ.ए. संख्या 221/2011 प्रतिआपत्ति संख्या 39, 2014 और आर.एफ.ए. संख्या 246/2011 से,

सुश्री राधिका गौतम, अधिवक्ता अपीलकर्ताओं के लिए
विकास महाजन, एएजी, आकाश वर्मा, अनिल कुमार, विनोद शर्मा, सुश्री लक्ष्मी कुमारी, पुनीत तनेजा, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।
न्यायालय का निर्णय,
अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधीश द्वारा दिया गया था।
1. अनुमति दी गई ।
2. यह अपीलें उच्च न्यायालय शिमला हिमाचल प्रदेश के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकित 20.04.2017 आर.एफ.ए. संख्या 221/2011, प्रतिआपत्ति संख्या 39/2014 और आर.एफ.ए. संख्या 246/2011 के खिलाफ दायर की गई हैं। जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी एनटीपीसी द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया और परिणामस्वरूप अपीलार्थियों द्वारा दायर प्रतिआपत्तियों को खारिज कर दिया।

3. इन अपीलों के निपटान के लिए नीचे कुछ तथ्यों का उल्लेख आवश्यक है, जिनमें एक संक्षिप्त बिंदु शामिल है।

4. यहां अपीलकर्ता दावेदार (जमींदार) हैं, जबकि प्रतिवादी नंबर 1 एनटीसीए सरकारी कंपनी है, जिसके लिए प्रश्न में भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित की गई थी और प्रतिवादी नंबर 2 और 3 राज्य और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर हैं।

5. विचाराधीन भूमि (बाद में इसे "मुकदमा भूमि" कहा जाएगा) अपीलकर्ताओं की थी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के निष्पादन के लिए एनटीपीसी (प्रतिवादी संख्या 1) के लाभ के लिए राज्य (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा मुकदमा भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इससे भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एलएओ) द्वारा अधिनियम की धारा 11 के तहत भूमि मालिकों (यहां अपीलकर्ताओं) को देय मुआवजे के निर्धारण के लिए कार्यवाही शुरू हुई।

6. दिनांक 12.07.2006 के फैसले के अनुसार, एलएओ ने वाद भूमि के मुआवजे के रूप में अपीलकर्ताओं को 3,87,383 रुपये प्रति बीघा की पेशकश की। अपीलकर्ताओं ने व्यथित महसूस किया और एलएओ द्वारा प्रस्तावित मुआवजे के निर्धारण के लिए अधिनियम की धारा 18 के तहत सिविल कोर्ट में संदर्भ की मांग की।

7. रेफरेंस कोर्ट (सिविल कोर्ट) ने दिनांक 31.03.2009 के फैसले द्वारा आंशिक रूप से अपीलकर्ताओं के पक्ष में रेफरेंस की अनुमति दी और मुआवजा 3,87,383/ रुपये से बढ़ाकर 5,00,000/ रुपये प्रति बीघा कर दिया। दूसरे शब्दों में, संदर्भ न्यायालय ने सबूतों की सराहना करने के बाद माना कि अपीलकर्ता 5,00,000 रुपये प्रति बीघे की दर से मुआवजे का दावा करने के हकदार हैं।

8. राज्य और एनटीपीसी ने संदर्भ न्यायालय के फैसले से व्यथित महसूस किया और अधिनियम की धारा 54 के तहत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। अपीलकर्ताओं ने रेफरेंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ नियमित अपील दायर करने के बजाय, उत्तरदाताओं की अपील में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) के आदेश 41 नियम 22 के तहत प्रति आपत्ति दायर की और मुआवजे में वृद्धि की मांग की।

9. आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने एनटीपीसी/राज्य द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया और, परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर प्रति आपत्ति को भी खारिज कर दिया। अपीलों और प्रति–आपत्ति को खारिज करने का प्रभाव संदर्भ न्यायालय (सिविल कोर्ट) द्वारा पारित पुरस्कार को बरकरार रखना था। भूस्वामियों को अपनी प्रतिआपत्ति की अस्वीकृति से व्यथित महसूस हुआ और उन्होंने इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की है।

10. तो, एकमात्र प्रश्न, जो इन अपीलों में विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं की प्रति आपत्ति को खारिज करना उचित था। चूंकि यहां उत्तरदाताओं (राज्य और एनटीपीसी) ने उच्च न्यायालय के आदेश के उस हिस्से के खिलाफ इस न्यायालय में अपील करने के लिए कोई विशेष अनुमति दायर नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप उनकी अपील खारिज कर दी गई, इसने उत्तरदाताओं के लिए अंतिम निर्णय प्राप्त कर लिया है।

11. दूसरे शब्दों में, हमें इस प्रश्न की जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा दो कारणों से उत्तरदाताओं की अपीलों को खारिज करना उचित था: पहला, ये अपीलें भूस्वामियों द्वारा उनकी प्रति आपत्ति की अस्वीकृति के खिलाफ दायर की जाती हैं और दूसरी , उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अपील को खारिज करने के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की।

12. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

13. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और मामले के अभिलेख को देखने के बाद, हम अपील की अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं और जहां तक यह प्रति आपत्ति को खारिज करने से संबंधित है, विवादित आदेश को रद्द करते हुए, मामले को रिमांड पर लें (प्रति आपत्ति) को कानून के अनुसार गुण–दोष के आधार पर तय करने के लिए उच्च न्यायालय में भेजा जाएगा।

14. उच्च न्यायालय के समक्ष दो प्रश्न विचार के लिए आये: पहला, क्या संदर्भ न्यायालय ने भूस्वामियों को मुआवजे के रूप में 5,00,000/– रुपये प्रति बीघे का पुरस्कार देने में सही किया था और दूसरा, क्या मुआवजे की राशि में वृद्धि के लिए कोई मामला बनाया गया था जो संदर्भ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.03.2009 द्वारा उन्हें जो मुआवज़ा दिया गया था।

15. जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, इस पर राज्य/एनटीपीसी के अनुरोध पर उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अपीलों पर निर्णय लिया जाना आवश्यक था, जबकि जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, इसे भूस्वामियों को उनकी आपत्ति के आधार पर निर्णय लिया जाना था।

16. इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि अपीलकर्ताओं (ज़मींदारों) के पास संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार की वैधता या/और शुद्धता पर सवाल उठाने के दो उपाय थे। एक उपाय अधिनियम की धारा 54 के तहत

अपील के माध्यम से था और दूसरा उपाय राज्य/एनटीपीसी द्वारा दायर अपील में संहिता के आदेश 41 नियम 22 के तहत प्रति आपत्ति दर्ज करना था। इस मामले में, भूमि मालिकों ने संहिता के आदेश 41 नियम 22 के तहत प्रति आपत्ति दर्ज करने के दूसरे उपाय का सहारा लिया।

17. उच्च न्यायालय ने राज्य/एनटीपीसी द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया है, इसलिए, यह जांचना आवश्यक था कि क्या मुआवजे की वृद्धि के लिए भूमि मालिकों (यहां अपीलकर्ताओं) द्वारा उनके प्रति आपत्ति में कोई मामला बनाया गया था।

18. हम आक्षेपित आदेश से पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने, पैरा 24 में, बिना कोई कारण बताए प्रति आपत्ति को खारिज कर दिया। प्रति आपत्ति को खारिज करने का आदेश इस प्रकार है:

> 24. प्रतिआपत्ति, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

19. संहिता के आदेश 41 नियम 22(4) में प्रावधान है कि जहां, किसी भी मामले में, जिसमें किसी भी प्रतिवादी ने इस नियम के तहत आपत्ति का ज्ञापन दायर किया है, मूल अपील वापस ले ली जाती है या चूक के रूप में खारिज कर दी जाती है, इस प्रकार फिर भी अन्य पक्षों को ऐसे नोटिस के बाद दायर आपत्ति को सुना और निर्धारित किया जाएगा जैसा न्यायालय उचित समझे।

20. हमारी सुविचारित राय में, केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर की गई अपीलों को गुण–दोष के आधार पर खारिज कर दिया, फिर भी इसके परिणामस्वरूप भूस्वामियों की प्रति आपत्ति भी खारिज नहीं होगी। हमारे विचार में, संहिता के आदेश 41 नियम 22 (4) में दिए गए कारण बताए अनुसार अपीलों को खारिज करने के बावजूद प्रति आपत्ति का उसके गुण–दोष के आधार पर निपटारा किया जाना था।

21. दूसरे शब्दों में, भले ही उच्च न्यायालय ने राज्य/एनटीपीसी की अपील को गुण–दोष के आधार पर खारिज कर दिया, फिर भी उच्च न्यायालय के लिए यह अनिवार्य था कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष भूमि मालिकों (अपील में उत्तरदाताओं) द्वारा उठाए गए मुद्दों की स्वतंत्र रूप से जांच करे। कोर्ट ने प्रति ऑब्जेक्शन में यह पता लगाने की दृष्टि से कहा कि क्या भूस्वामियों द्वारा तथ्यों के आधार पर मुआवजे में और बढ़ोतरी के लिए कोई मामला बनाया गया था और यदि हां, तो किस हद तक। यह प्रश्न कि मुआवजे में वृद्धि का कोई मामला बनता है या नहीं, इसका निर्णय धारा 23 में निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए अधिगृहीत भूमि के बाजार मूल्य के मुद्दे पर पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना के आधार पर किया जाना आवश्यक था।

22. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय भूस्वामियों की प्रति आपत्ति से निपटने के दौरान उपरोक्त प्रश्न की जांच करने में विफल रहा और बिना कोई कारण बताए इसे गलत तरीके से खारिज कर दिया, जैसा कि ऊपर उद्धृत आदेश से स्पष्ट है। बिना किसी चर्चा और कारण के प्रति आपत्ति को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए, यह कानूनी रूप से सही नहीं है।

23. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, अपीलें सफल होती हैं और तदनुसार अनुमति दी जाती हैं। विवादित आदेश जहां तक अपीलकर्ताओं (जमींदारों) की प्रति आपत्ति को खारिज करने से संबंधित है (पैरा 24) को खारिज किया जाता है।

24. मामले को कानून के अनुसार अपीलकर्ताओं (जमींदारों) द्वारा दायर प्रति आपत्ति पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दावा करने के लिए अपीलकर्ताओं (जमींदारों) द्वारा साक्ष्य पर कोई मामला बनाया गया है या नहीं। संदर्भ न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवज़े की राशि में और वृद्धि और, यदि हां, तो किस हद तक और, यदि नहीं, तो क्यों।

25. उच्च न्यायालय पहले यह सत्यापित करेगा कि क्या भूस्वामियों ने प्रति आपत्ति में किए गए अपने दावे को महत्व दिया है और यदि हां, तो क्या उन्होंने दावे पर एड वेलोरम अदालत फीस का भुगतान किया है। यदि भूस्वामियों ने न तो दावे का मूल्यांकन किया और न ही एड वेलोरम अदालत की फीस का भुगतान किया, तो उन्हें पहले अपने दावे का मूल्यांकन करने और ऐसे दावे पर एड वेलोरम अदालत की फीस का भुगतान करने के लिए उचित समय दिया जाएगा। एक बार जब अदालत फीस अधिनियम के तहत अपेक्षित कोर्ट फीस का भुगतान भूस्वामियों द्वारा कर दिया जाता है, तो राज्य/एनटीपीसी द्वारा दायर अपीलों में पारित मुख्य आदेश को परेशान किए बिना, प्रति आपत्ति पर कानून के अनुसार सख्ती से निर्णय लिया जाएगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अन्तिम रूप प्राप्त कर लिया है।

26. हम, हालांकि, यह स्पष्ट करते हैं कि हमने इस सवाल पर अपना दिमाग नहीं लगाया है कि क्या अपीलकर्ताओं (जमींदारों) द्वारा मुआवजे के पुरस्कार में किसी भी वृद्धि के लिए कोई मामला बनाया गया था। उच्च न्यायालय तदनुसार इस आदेश में की गई हमारी किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, कानून के अनुसार अपनी योग्यता के आधार पर प्रति आपत्ति पर निर्णय करेगा।

अपील को अनुमति दी जाती है।

The Judgement is translated by Nidhi Madhav Kuril, Civil Judge (J.D.).FTC, Court No. 41, Shahjahanpur, J.O. No. UP3745 which is true and correct to my knowledge.